भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2478
दिनांक 9 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

नालंदा में मत्स्यपालन को बढ़ावा देना

2478. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बिहार, विशेषकर नालंदा जिले में मत्स्यपालन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है;

(ख) क्या मत्स्यपालन में बिहार का नालंदा जिला पहले स्थान पर है;

(ग) सरकार द्वारा मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मत्स्यपालकों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने पर भी विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार मत्स्यपालन में पानी की अत्यधिक आवश्यकता और डीजल की उच्च लागत को देखते हुए किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) और (ख): बिहार सरकार ने सूचित किया है कि संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नालंदा जिला सहित पूरे बिहार राज्य में मछली पालन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ रही है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और राज्य की योजनागत स्कीमों को लागू किए जाने से मछली पालन लोकप्रिय हो रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि नालंदा जिला राज्य में मत्स्यपालन संभावित तथा तेजगति से बढ़ते हुए जिलों में से एक है।

(ग) से (च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक सर्वोत्कृष्ट योजना ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)- भारत में मत्स्यपालन के क्षेत्र में सतत एवं जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना'' लागू कर रहा है जिसका मत्स्यपालन के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रूपये का है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जा रही है। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के

अन्तर्गत मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिनमें इनपुट लागतों के साथ तालाबों के निर्माण, पुन: संचारी जलीय कृषि प्रणाली (आर.ए.एस.), स्तरीय बीज की आपूर्ति के लिए हैचरियों, चारा प्लांट, बायोफ्लॉक जलीय कृषि इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, परिवहन तथा विपणन की सुविधाओं, मूल्य संवर्धित सुविधाओं, पिंजरा कृषि और पेन कृषि इकाइयों के निर्माण, सजावटी मछली कृषि, एकीकृत मछली पालन, मनोरंजन मत्स्यपालन आदि के लिए सहायता भी सम्मिलित है। चालू वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अन्तर्गत कुल 107.00 करोड़ रूपये की लागत से बिहार सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पात्र संस्थाओं जिनमें चिन्हित की गई मत्स्यपालन अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए मछली किसान भी शामिल हैं, को रियायती वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 7522 करोड़ रूपये की निधि से मत्स्यपालन तथा जलीय कृषि अवसरंचना विकास निधि को भी लागू कर रहा है।